

प्रस्ताव सं०:- FPI/UP/ Others/30182/2017 भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

Recommended for
approval

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

दिनांक- 31/5/18
स्थान- Lucknow

डा० प्रशान्त कुमार वर्मा
हस्ताक्षर वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
नाम- वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उ०प्र०, लखनऊ
सरकारी मोहर